न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार हरसोलिया (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र कमांकः—48 / 2024

1. सुरेश पुत्र गणपति जाति जाट निवासी बसेरी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. करतार सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी बसेरी तहसील उच्चैन।
2. कुंवर सिंह
3. विजय सिंह पुत्रान गणपति जाति जाट निवासी बसेरी तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.ए

उपस्थितिः—

1. श्री मुकेश चन्द शर्मा एडवोकेट।
4. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट।

निर्णय **दिनांकः—18.05.2026**

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 552 रकवा 0.22है0 बाके ग्राम बसेरी तहसील उच्चैन में स्थित है। उक्त विवादित आराजी के प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार वाहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड के खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है उक्त आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है एवं होने बाली पैदाबार को अपने हिस्से के मुताबिक बटबारा करते चले आ रहे है। लेकिन विवादित आराजी गांव के नजदीक होने के कारण अब प्रतिवादीगण की नीयत में खराबी आ गई है और अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा से अधिक भाग पर बिना पैमाईश एवं बिना विभाजन कराये पुख्ता निमार्ण करने पर उतारू है. प्रतिवादीगण हिस्सा आराजी को किसी दीगर शक्त को बिना विभाजन कराये बेचान करने पर उतारू है। दिनांक 08.06.2024 को प्रार्थी जब अपनी आराजी की देखभाल कर रहा तो प्रतिवादीगण मौके पर आ गये और काफी तादाद में मजदूर लगाकर मौके पर नींब खोदना चालू कर दिया उस रोज प्रतिवादीगण के विरोध के कारण चले गये लेकिन विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल करने एवं प्रार्थी के हिस्से की आराजी की पूरी काश्त को बर्बाद करने एवं आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है। जिसके कारण प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा से पाबन्द कराये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ताक जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर सच्चाई को छिपाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि उक्त वर्णित आराजी का अरसा करीब पचास वर्ष पूर्व ही मनवट के आधार पर विभाजन हो गया था तथा उक्त मनवट बंटवारे के आधार पर हम अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण ने अपने—अपने हिस्से की

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

पृथक–पृथक डौल मैड कायम कर ली थी तथा विवादित आराजी पर हम अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण कायम डौल मैडों के अन्दर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा अपने–अपने हिस्सों को हम अप्रार्थीगण ने लागत लगा कर तथा खाद पानी की, उचित व्यवस्था कर उपजाउ एवं कीमती बना लिया था जिसे देख कर प्रार्थी के मन में बदनियति की पूर्ति हेतु प्रार्थी उक्त मनवट बंटबारे को मानने से इन्कार कर रहे है एवं झूठे तथ्यों के आधार पर ये प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त विवादित आराजी पर कभी भी अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की सामूहिक काश्त नहीं रही है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी है जिसका अभी तक बंटबारा नहीं हुआ है और प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सामूहिक रूप से विवादित आराजी पर काश्त कर रहे है। अप्रार्थीगण अपने हिस्से से अधिक आराजी पर नींव खोदकर पक्का निर्माण कर रहे है एवं विवादित आराजी को, अन्य दीगर व्यक्तियों को बेचान करना चाहते है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधज्ञा पाबंद फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी का अर्सा करीब 50 वर्ष पूर्व मौके पर मनवट विभाजन हो गया है एवं मनवट के आधार पर उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थी एवं प्रार्थी ने डौल मैड कायम कर ली है एवं उक्त डौल मैडों के अन्दर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की सामूहिक काश्त नहीं रही है। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार काश्तकार आराजी है। अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी पर मनवट के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्राईमाफेसी केस, सुबिधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदू प्रार्थी के पक्ष में जाहिर होते है।

अतः आदेश हैः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। उभयपक्ष के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला बाद इस आशय की जारी कर पाबंद किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर नम्बर 552/0.22है0 बाके ग्राम बसेरी तहसील उच्चैन में रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 18.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सुरेश कुमार हरसोलिया (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर